



प्रेस नोट

थाना कोतवाली नगर जनपद हाथरस

दिनांक 28-08-2020

थाना कोतवाली हाथरस पुलिस द्वारा दुकानों की छत काटकर पीतल की मूर्तियां व रुपये चोरी करने वाले दो अभियुक्तों को मय चोरी की मूर्तियों व रुपयों के किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हाथरस के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हाथरस के निर्देशन तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय जनपद हाथरस के प्रवेक्षण में दिनांक 28.08.2020 को थाना प्रभारी कोतवाली नगर जनपद हाथरस के नेतृत्व में उ०नि० सहाब सिंह मय उ०नि० रामदास पचौरी, उ०नि० वलवीर सिंह व है०का० 91 सुभाष चन्द व का० 780 संजीव कुमार थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था एवं वाछित अभियुक्तों की तलाश हेतु मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि सहाब जिन लोगो ने नवीपुर रोड व आगरा रोड बम्बा के पास दुकानों छत काटकर पीतल की मूर्तियाँ व रुपये चरी करने वाले दो व्यक्ति बस स्टेण्ड के पास एक प्लास्टिक की थैली में चोरी की गयी मूर्तियों के साथ बैचने कि फारक में खडे हैं जल्दी की जाये तो पकडे जा सकते हैं इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दिनांक 28/08/2020 को गिरफ्तार किया गया व युवको से बरामद चोरी की मूर्तिओं व रुपयों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण - 27-08-2020 को थाना स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत वादी श्री जयसिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी 2/26 आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद हाथरस की दुकान में दिनांक 27-08-2020 को वादी की दुकान नवीपुर बम्बा से अज्ञात चोरो द्वारा कुछ रुपये व मूर्तियां चोरी कर ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 27.08.2020 को थाना हाजा पर मु०अ०सं० 260/20 धारा 457/380 /411 आईपीसी पंजीकृत किया गया था व दिनांक 16.08.2020 को थाना स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत वादी श्री प्रवीन अग्रवाल पुत्र अनिल अग्रवाल निवासी नवीपुर थाना कोतवाली हाथरस की दुकान में दिनांक 16.08.2020 को वादी की दुकान नवीपुर रोड विजली घर के पास से चोरी हुई थी जिसमें 48800 रुपये व 500 x700 रु की खैरिज और करीब 10 कि०ग्रा० पीतले के लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ चोरी गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना पर मु०अ०सं० 241/2020 धारा 457/380 आईपीसी पंजीकृत हुआ था जिसके खुलासे हेतु थाना स्तर से टीम घटित कर उ०नि० सहाब सिंह मय उ०नि० रामदास पचौरी, उ०नि० वलवीर सिंह व है०का० 91 सुभाष चन्द व का० 780 संजीव कुमार थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था एवं वाछित अभियुक्तों की तलाश हेतु मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि सहाब जिन लोगो ने नवीपुर रोड व बम्बा के पास दुकानों छत काटकर पीतल की मूर्तियाँ व रुपये चरी की हैं वही दो व्यक्ति बस स्टेण्ड के पास एक प्लास्टिक की थैली में चोरी की गयी मूर्तियों के साथ बैचने की फारक में खडे हैं जल्दी की जाये तो पकडे जा सकते हैं इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दिनांक 28/08/2020 को गिरफ्तार किया गया जामा तलाशी लेते हुये नाम पता पूछा गया तो अभियुक्तगणों द्वारा अपने नाम 1- पत्ता पुत्र कल्लन खॉ निवासी नाई का नगला थाना कोतवाली जनपद हाथरस 2- बन्टी पुत्र किशन लाल निवासी गाँधी नगर मुरसान गेट थाना कोतवाली हाथरस अभियुक्तगणों से कडाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि सहाब कल हमारे द्वारा नवीपुर रोड पर एक दुकान में छत काटर मूर्तिओं व पीतल के गोले चोरी किये गये थे तथा कुछ दिन पहले आगरा रोड बम्बा से भी दुकान से छत काटर रुपये चोरी किये थ अभि० बन्टी उपरोक्त से हाथ में पकडे प्लास्टिक की थैली से छोटी बडी लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ बजनी करीब 2.5 कि०ग्रा० व पहने पेंट की जेब से 4000 हजार रुपये व एक आधार कार्ड जय सिंह वरामद हुये वरामद रुपयों के बारे में पूछा तो बताया कि सहाब हमने आगरा रोड से जो चोरी की थी उसमें मुझे हिस्से ये पैसे मिले थे व अभि० पत्ता उपरोक्त से हाथ में पकडे एक प्लास्टिक की थैली से पीतल धातु की मूर्तियाँ वजन करीब 2.5 कि०ग्रा० व 3200 रुपये नगद व एक राधा कृष्ण की पुरानी मूर्ति वरामद हुये बरामद चोरी की मूर्तिओं व रुपयों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही कर अभि०गणों को जेल भेजा जा रहा है

नाम पता अभियुक्त -

- 1- पत्ता पुत्र कल्लन खॉ निवासी नाई का नगला थाना कोतवाली जनपद हाथरस
- 2- बन्टी पुत्र किशन लाल निवासी गाँधी नगर मुरसान गेट थाना कोतवाली हाथरस

अपराध विवरण – पत्ता पुत्र कल्लन खॉँ निवासी नाई का नगला थाना कोतवाली जनपद हाथरस का अपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0 55/20 धारा 3/25 A ACT थाना कोतवाली हाथरस

1-मु0अ0सं0 260/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली हाथरस

1-मु0अ0सं0 241/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली हाथरस

अपराध विवरण - बन्टी पुत्र किशन लाल निवासी गाँधी नगर मुरसान गेट थाना कोतवाली हाथरस का अपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0 197/12 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली हाथरस

2-मु0अ0सं0 124/13 धारा 3 UP गुण्डा एक्ट थाना कोतवाली हाथरस

3-मु0अ0सं0 508/18 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली हाथरस

4-मु0अ0सं0 540/14 धारा 380/411/452 भादवि थाना कोतवाली हाथरस

5-मु0अ0सं0 577/14 धारा 21/22 NDPS ACT थाना कोतवाली हाथरस

6-मु0अ0सं0 773/14 धारा 25 A ACT थाना कोतवाली हाथरस

7-मु0अ0सं0 202/14 धारा 3 UP गुण्डा एक्ट थाना कोतवाली हाथरस

8-मु0अ0सं0 243/15 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली हाथरस

9-मु0अ0सं0 460/15 धारा 21/22 NDPS ACT थाना कोतवाली हाथरस

10-मु0अ0सं0 413/17 धारा 21/22 NDPS ACT थाना कोतवाली हाथरस

11-मु0अ0सं0 508/18 धारा 21/22 NDPS ACT थाना कोतवाली हाथरस

12-मु0अ0सं0 410/19 धारा 21/22 NDPS ACT थाना कोतवाली हाथरस

13-मु0अ0सं0 260/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली हाथरस

13-मु0अ0सं0 241/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली हाथरस

अनावरत अभियोग

1-मु0अ0सं0 260/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली हाथरस

2-मु0अ0सं0 241/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली हाथरस

बरामदगी का विवरण- मु0अ0सं0 241/20 धारा 457/380/411 आईपीसी में

1- पीतल धातु की मूर्तियाँ वजनी करीब 5 कि0ग्रा0 व 6200 रुपये नकद ,

बरामदगी का विवरण- मु0अ0सं0 260/20 धारा 457/380/411 आईपीसी में

1- एक राधा कृष्ण की की मूर्ति पुरानी व 1000 रुपये नकद ,

गिरफ्तार करने वाली टीम

1-प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर जनपद हाथरस

2-उ0नि0 सहाब सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद हाथरस

2-उ0नि0 रामदास पचौरी थाना कोतवाली नगर जनपद हाथरस

3-उ0नि0 बलवीर सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद हाथरस

3-है0का0 91 सुभाष चन्द थाना कोतवाली नगर जनपद हाथरस

4- का0 780 संजीव कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद हाथरस